Seventeenth Loksabha

>

Title: Introduction of Major Port Authorities Bill.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for regulation, operation and planning of Major Ports in India and to vest the administration, control and management of such ports upon the Boards of Major Port Authorities and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि भारत में महापत्तनों के विनियमन, प्रचालन और योजना के लिए तथा महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों में ऐसे पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन को निहित करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I rise to make an objection under Rule 72 of the Rules of Procedure to the introduction of this Bill on the following four grounds, but the overall ground is that this Bill is not ready for introduction. Far-reaching changes in the management of our ports have been contemplated in the

Bill, but the draft is very vaguely and carelessly drafted, and it should be reintroduced after revision.

Sir, I will give you the four reasons right now. The first one is that they have created a 13-member Board to manage ports where the Bill actually provides for seven of these, out of 13, to be from private persons. The majority, in other words, dominating will be of the private persons. The qualification and experiences of the members have not been mentioned in the Bill. The Chairperson and Deputy Chairperson, who have the power to exercise supervision and control over the acts of all employees of the Major Port Authority are to be appointed on the recommendation of a Selection Committee whose own constitution is unclear. It is not specified in the Bill.

The second objection is over the completely unequal representation of the private interest vis-à-vis the employees' interest. They have got four independent members representing basically the interest of the business community, and only two representing the employees.

The third objection is that the Bill provides a restriction period of only one year for the Board members to seek re-employment after the tenure of their offices. This is an insufficient safeguard which will promote bias in the discharge of the functions. They can get a job afterwards with the same company that they are regulating.

There is one more omission, which is my fourth objection. The Bill fails to provide a clear demarcation between 'port-related use' and 'non-port related use' giving rise to ambiguity about the lawful use of power.

The Standing Committee had prescribed two separate definitions for these terms. The Bill has not employed either of them.

I would like to stress that ports are a national property. They are meant for public and social benefits. People give up their lands, States give up their lands to construct ports in the larger interest of the prosperity of the country.

This is too important an issue to be dealt with in this cavalier fashion in this hastily-drafted Bill.

I, therefore, object to its introduction. I ask the Government to go back, study the Bill, re-write it and come back with these concerns addressed. Thank you, Mr. Speaker.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Under Rule 72 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I oppose the introduction of the Major Port Authorities Bill, 2020.

We have been complaining for a long time in this House that this Government seems set and determined to pave the way for privatisation of all Government assets. Earlier we have seen airports being handed over to private parties. We know how private ports are operating in Gujarat, including the Mundra Port operated by Adanis. We have the Kolkata Port, which is 150-years old. The Prime Minister himself went to inaugurate the 150th celebrations.

Now, four people representing industry has been brought in. They will enable the Board to use the property and assets. …(*Interruptions*)

सर, कनफिलिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट है, बिज़नेसमेन को इस बोर्ड में लाया जा रहा है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब इस विषय पर डीटेल्ड चर्चा होगी, आप तब विस्तार से चर्चा करना । अभी आप बिल की अथॉरिटी पर चर्चा करें । …(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: The idea is to lease out the port. … (*Interruptions*). Already dry docks have been given to private parties.

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): I would like to oppose the introduction of the Major Port Authorities Bill, 2020 under Rule 72 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

This Bill is a continuation of the existing policy of privatisation set in motion by the Union Government, which is accelerating disinvestment of public sector undertakings. The Bill is intended to accord an overarching control to private entities to wrest vital national assets. The Bill questions the established federal structure as overarching powers are granted to the Ports Authorities over the State Governments. When such unregulated powers are provisioned to private sector in the development of critical national infrastructure, there exists a possibility of usurpation of control with scant regard to law. The Bill also includes Cochin Port, which is in my constituency, which faces a major crisis.

So, I would like the Government to withdraw the Bill, re-draft it and re-introduce it. Thank you.

श्री मनसुख एल. मांडविया: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपनी बात जो इस बिल के संदर्भ में रखी है, उसके संदर्भ में आपको मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि पोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं । ...(व्यवधान) इस बिल पर तीन साल से कनसल्टेशन हो रहा था, बाद में स्टेंडिंग कमेटी में गया था । पिछली संसद में यह बिल आया था, लेकिन पिछली संसद की पांच साल की अवधि पूरी हो जाने की वजह से वह लैप्स हो गया तो फिर से आया है । बोर्ड में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं ।

ट्रस्टी के नाम की जगह पर हम केवल उसको बोर्ड मैम्बर के रूप में चेंज कर रहे हैं । ...(व्यवधान) I am telling ...(*Interruptions*) I will clarify all things. दूसरा, उसमें कोई ट्रस्टी, जो लेबर ट्रस्टी है, पहले भी दो लेबर ट्रस्टी थे, आज भी हम दो ही लेबर ट्रस्टी रख रहे हैं । उसमें हमने केवल इतना ही बदलाव किया है कि लेबर के नाम से कई लोग आ जाते थे, वास्तव में वे लेबर नहीं होते थे । हमने क्लेरिफाई किया है कि लेबर का ही रिप्रेजेंटेशन हो और लेबर ही मैम्बर हो । केवल इतना ही चेंज किया है । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बैठे लोगों का जवाब मत दीजिए ।

श्री मनसुख एल. मांडविया : सर, पुराने जो बोर्ड थे, हम वैसा ही बोर्ड रख रहे हैं । मैं यह बिल इसलिए ला रहा हूँ, बदलते समय में कई प्राइवेट पोर्ट आए हैं, मेरे पोर्ट के पास कई पावर कम हैं, प्राइवेट पोर्ट के साथ मेरे पोर्ट को कम्पीटिशन करनी पड़ती है, इसलिए हम पावर थोड़ी डेलिगेट कर रहे हैं, बाकी सभी शक्तियाँ भारत सरकार के पास ही रहेंगी । रूल्स एंड रेग्युलेशन भारत सरकार ही बनाएगी । प्राइवेट लोगों के हित के लिए उसमें कोई जगह नहीं है । Private port is a different thing. यह गवर्नमेंट पोर्ट है । उसकी लेबर के लिए भी जिस दिन लेबर इस पोर्ट में आई है, उस दिन जो रूल्स एंड रेग्युलेशन है, उसको ही हम फॉलो कर रहे हैं । लेबर के प्रति भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा । कोई लेबर पेंशनर है, उसके ऊपर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा । सभी चीज है,

केवल इस पोर्ट अथॉरिटी बिल के माध्यम से हम पोर्ट को थोड़ी सी शक्ति दे रहे हैं, ताकि वह समय के अनुसार कम्पीटिशन करके आगे बढ़ सके ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं नियम 72 की व्याख्या जरूर कर देता हूँ, ताकि सभी माननीय सदस्यों को ध्यान रहे । वैसे तो जो माननीय सदस्य नियम 72 के विषय उठाते हैं, वे सब विद्वान माननीय सदस्य हैं, लेकिन सदन को विषय ध्यान में रहे, जैसा कि नियम 72 की भाषा से स्पष्ट है-

किसी विधेयक के पुर:स्थापन के प्रस्ताव का विरोध, न केवल इस आधार पर कि विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है, जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है, बल्कि अन्य आधारों पर भी किया जा सकता है ।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : यह गलत इंटरप्रिटेशन है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट । अगर आसन गलत प्लेस कर रहा है, तो इस पर अभी डिबेट कर लेंगे । मैं विषय पूरा पढ़ लूँ ।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: आप फिर से रिपीट कीजिए । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जैसा कि नियम 72 की भाषा से स्पष्ट है-

> "यदि किसी विधेयक के पुर:स्थापन के प्रस्ताव का विरोध, न केवल इस आधार पर कि विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है, जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है, बल्कि अन्य आधारों पर भी किया जा सकता है । जहाँ पुर:स्थापन के प्रस्ताव का विरोध विधायनी क्षमता से भिन्न आधारों पर किया जाता है, पुर:स्थापन का विरोध कर रहे सदस्य को एक अत्यंत संक्षिप्त वक्तव्य देना होता है । "

नियम 72, उप नियम 1 का पहला परन्तु स्पष्ट वर्णित करता है-

"यदि विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि विधेयक की विषय-वस्तु इस सभा की विधायनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष द्वारा अन्य सदस्यों को विधेयक के उपबंधों पर अपने मत रखने की अनुमति दी जाती है । "

यह मेरी आज्ञा से ही आपको अनुमति मिली है ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I fully agree with the ruling of the hon. Speaker. Absolutely, it is the freedom and authority of the hon. Speaker whether right to oppose is permitted, that means, whether observation can be made. That is also there. It is absolutely within the purview of the hon. Speaker to permit to make a brief statement. That is under rule 72(1). The first proviso deals with that.

माननीय अध्यक्ष : मुझे भी अच्छा लगता है, जब सदन में विधायी कार्य पर एक सारगर्भित चर्चा होती है और होनी भी चाहिए । इसलिए उन माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं, जो समय-समय पर इन विषयों पर चर्चा करते हैं । मैं उसके लिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनको सम्पूर्ण मौका दिया जाए, क्योंकि कानून देश के लिए बन रहे हैं । संसद में विधायी कानून बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ चुनकर आए हैं । कानून देश के हित में बने, इसके लिए चर्चा, संवाद, वाद-विवाद होना चाहिए, सहमति-असहमति भी होनी चाहिए, लेकिन चर्चा का पूर्ण मौका दिया जाना चाहिए, जो मैं हमेशा आप लोगों को देता हूँ ।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के महापत्तनों के विनियमन, प्रचालन और योजना के लिए तथा महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों में ऐसे पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन को निहित करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA : Sir, I introduce the Bill.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं एक छोटा सा विषय उठाना चाहता हूँ । ...(व्यवधान) सर, आप जानते हैं, सारा सदन जानता है कि हिन्दुस्तान में यस बैंक को लेकर लाखों की तादाद में लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं । ...(व्यवधान)

सर, आम लोगों का पैसा लूटा जाता है और वह भी सरकार की निगरानी में । ...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपसे आग्रह किया है ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, एक के बाद एक प्राइवेट बैंक, कंपनी ध्वस्त हो रही हैं । **...**(व्यवधान) लोगों को अभी कहा जा रहा है कि अभी आप 50 हजार रुपये से ज्यादा निकास नहीं कर सकते हैं । **...**(व्यवधान) लोगों का पैसा लूटा

जाता है और फिर लोगों को कहा जाता है कि इसकी भरपाई तुम करो । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको मैंने कहा है कि माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में आप इसे उठाएं । नो-नो ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: लोगों का पैसा लूटा जाता है और फिर लोगों को कहा जाता है कि तुम इसकी भरपाई करो । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय विदेश मंत्री जी ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : इसलिए एसबीआई इनको पैसा देने के लिए बेल आउट पैकेज बना रहा है । ...(व्यवधान) ये सरासर हमारे बैंक के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं । ...(व्यवधान) पहले नो योर कस्टमर चलता था, अभी नो योर...(व्यवधान)

12.22 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS-Contd...